रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
ikf/dkj l i idkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY

l- 839] ub fnYyh] cgLifrokj] fnlEcj 8] 2016@vxgk;.k 17] 1938
No. 839] NEW DELHI, THURSDAY DECEMBER 8, 2016/AGRAHAYANA 17, 1938

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1120(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2016 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016, के नियम 12 के, उप-नियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "(5क) उप-नियम (5) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में अनुदत्त किए जाने वाले खनन पट्टे के संबंध में पांच हेक्टेयर से कम के क्षेत्र के लिए खनन पट्टे का अनुदत्त कर सकेगी:

   परंतु, लघु निक्षेपों (विशाल खंडों के विभाजित भाग से भिन्न), उथले प्रकृति के, अलग-थलग और दो सौ मीटर से अनधिक की स्ट्राइक लंबाई वाले, जो उत्पत्ति या स्थापन स्वरूप अथवा भूवैज्ञानिक हलचलों के कारण अस्तव्यस्त हो जाने के आधार पर लघु है, के संबंध में एक हेक्टेयर से कम के क्षेत्र के लिए किसी खनन पट्टे का अनुदान नहीं किया जाएगा; और लघु निक्षेपों में प्लावी निक्षेप (परिवहनीय) भी सम्मलित होंगे जो यांत्रिक अपक्षय और निक्षेपण, जलोढ़ अथवा अनूढ़ प्लेसरो (भूमिगत अथवा अन्यथा) से बने हों, जिनकी तटीय बालू या प्लेसरों के सिवाय, सामान्यत: विशिष्ट आकृति हो:

   परंतु यह और कि, तटीय बालू और प्लेसरों, जो एकल या बहु खनिज सांद्र है, जिसमें लहरों, तरंगों और तटीय जलधाराओं के ज्वार और भाटा के उत्पाद के रूप में तट रेखा पर और अपतट में और अर्द्ध संचित से लेकर संचित

प्रकृति के स्थानों में निक्षेपित टीलों सहित, के संबंध में दो हेक्टेयर से कम के क्षेत्र के लिए किसी खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि पहले और दूसरे परंतुकों में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न सभी अन्य मामलो में चार हेक्टेयर से कम के क्षेत्र के लिए कोई खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा।"

[फा. सं. 7/46/2016-एम.IV]

सुधाकर शुक्ला, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 4 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 279(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2016

G.S.R. 1120(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, in rule 12, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

   "(5A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5), the State Government may grant a mining lease for area less than five hectares in respect of a mining lease to be granted in pursuance of the provisions of clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 10A of the Act:

   Provided that no mining lease shall be granted for area less than one hectare, in respect of small deposits (not fragmented portions of larger ones), shallow in nature, isolated and not exceeding two hundred metres in strike length, which are small by virtue of either origin or mode of emplacement or dislocation due to geological disturbances; and small deposits shall also include float deposits (transported) formed due to mechanical weathering and deposition, alluvial or eluvial placers (buried or otherwise), which generally have peculiar configurations excepting beach sands or placers:

   Provided further that no mining lease shall be granted for area less than two hectares, in respect of beach sands or placers, which are mono or multi mineral concentrations, including the dunes occurring on and off the coastal shore line deposited as a product of the ebb and flow of tides, waves and inshore currents, and at places semi-consolidated to consolidated in nature:

   Provided also that no mining lease shall be granted for area less than four hectares in all other cases other than those specified in the first and second provisos.".

[F. No. 7/46/2016-M.IV]

SUDHAKER SHUKLA, Economic Advisor

Note : The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.08 18:23:46 +05'30'